(भारत के राजपत्र असाधारण भाग– I, खण्ड–1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं0 27/(2015–2020)
नई दिल्ली, दिनांकः 26 अक्तूबर, 2020

विषयः राजकोषीय वर्ष 2020–21 के दौरान तूर के आयात हेतु समयावधि का विस्तार।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सा.आ.1225 (अ) दिनांक 28.03.2020 के परिणामस्वरूप, आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय–7 के एचएस कोड 0713 60 00 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ 4 लाख मीट्रिक टन पिजन पीज़ के आयात कोटे हेतु ट्रेड नोटिस सं. 06/2020–21 दिनांक 21.04.2020 के साथ पठित ट्रेड नोटिस सं. 05/2020–21 दिनांक 21.04.2020 द्वारा प्रक्रिया को राजकोषीय वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित किया।

2. तूर का 4 लाख मी. टन का कोटा केवल पात्र और सत्यापित आवदकों के बीच समान रूप से अथवा आवेदित मात्रा के लिए जो भी कम हो, आबंटित किया गया और तूर के आयात हेतु जारी किए गए लाईसेंस की वैधता दिनांक 15.11.2020 तक थी।

3. अब तूर के आयात हेतु लाइसेंस की वैधता को 15.11.2020 से 31.12.2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और तूर के आयात हेतु आईसीएलसी के लिए कट–ऑफ तारीख तदनुसार 31.12.2020 होगी।

4. पात्र और सत्यापित आवेदकों जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं को यह सुनिश्चित करना होगा कि तूर के आयात की खेप भारतीय पत्तनों पर 31.12.2020 को अथवा इससे पहले पहुंचे। समयावधि बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अमित यादव
26/10/2020
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft.@nic.in

(फा. सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2 [क]/भाग–IV/ई–6708 से जारी)